by the Government of Punjab, the workers of the enterprise raised an industrail dispute over disciplinary action taken against three women which resulted in their dismissal from service on August, 31, 1991. The industrial dispute was amicably settled between the management and the workmen in November, 1991.

It had been alleged by the workers' union that on September 27, 1991 a worker was kidnapped and manhandled by the management and later released by them. The worker has filed a complaint in the Court of a Judicial Magistrate. No FIR was, however, lodged the police.

उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय

3250 **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितने श्रम न्यायालय हैं ; और

(ख) 30 जून, 1991 को इन श्रम न्यायालयों में कितने मामले लम्बित पड़े हुए थे तथा कितने मामलों का कर्मचारियों के हित में फैसला हुआ और ये कितने समय से लंबित थे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 19 श्रम न्यायालय तथा 6 औद्योगिक अधिकरणों का गठन किया है और केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय सरकार औद्योगिक-अधिकरण एवं श्रम न्यायालय की स्थापना की है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार उसके द्वारा गठित विभिन्न श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों में 12,075 औद्योगिक विवाद तथा 5,095 आवेदन लंबित हैं । कानपुर स्थित केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय में 741 औद्योगिक विवाद और 886 आवेदन लंबित हैं । जितनी अवधि के लिए ये मामले लंबित हैं वह नीचे दी गई है :—

अवधि	केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण तथा श्रम-न्यायालय, कानपुर		उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण	
	औद्योगिक विवाद	आवेदन	औद्योगिक विवाद	आवेदन
एक साल से कम	622	710	5184	2548
1 से 2 साल के बीच	42	10	3439	1281
2 से 3 साल के बीच	63	152	1967	699
3 साल से अधिक	14	14	1485	567